न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
146 / 2020	10.09.2020	9.02.2024

पीठासीन अधिकारी- विजेन्द्र कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

1— नाथूलाल आत्मज रतना जी
2— शिवप्रकाश आत्मज नाथूलाल
3— गजेन्द्र आत्मज नाथूलाल
4— जगदीश आत्मज नाथूलाल
जाति धाकड़ निवासीगण डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1— दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीगण की ओर से — श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से — तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि

1— यह कि ग्राम डंगावद तहसील दीगोद में पुराने खसरा नम्बर 9 की 28 बीघा 18 बिस्वा भूमि जय सिंह व सोसर बाई व वादी नं0 1 के नाम शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही थी, बाद इंतकाल नं0 15 दिनांक 21.01.1985 से जयसिंह का नाम खारिज किया जाकर उक्त भूमि सोसरबाई व वादी नं0 1 के नाम दर्ज हुई।

2— यह कि उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा भूप्रबन्ध कर दिया ओर भूप्रबंध के दौरान उपरोक्त खसरा नम्बर 9 की 28 बीघा 18 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 19 की 4.26 हेक्टर कायम किये गये। नकल मिलान क्षेत्रफल व नकल जमाबन्दी पेश है।

3— यह कि उक्त खसरा नम्बर 19 व अन्य भूमियां सोसर बाई व वादी नं0 1 के शामलाती खाते में दर्ज थी। सोसरबाई ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि वादी नलं0 2, 3, 4 के नाम दान कर दी ओर इंतकाल नं0 134 से सोसर बाई के स्थान पर वादी नं0 2, 3, 4 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। नकल जमाबन्दी पेश है।

4— यह कि पुराने खसरा नम्बर 9 की भूमि 28 बीघा 18 बिस्वा थी जिसके सेटलमेन्ट के दोरान 4.26 हेक्टर दर्ज किये जब कि पुराने रकबा के अनुसार 4.62 हेक्टर भूमि होती है जिस पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार वादीगण के खाते में 0.36 हेक्टर भूमि कम दर्ज की गयी है। जिसे खसरा नम्बर 145 की 0.36 हेक्टर सिवाय चक दर्ज कर दी गयी। जिस पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है।

5— यह कि मोके पर वादीगण का कब्जा खसरा नम्बर 145 की 0.36 हेक्टर भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी के खाते में 4.26 हेक्टर दर्ज है ओर 0.36 हेक्टर भूमि

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

कम दर्ज की हुई है जिसकी पूर्ति सिवायचक खसरा नम्बर 145 की 0.36 हेक्टर भूमि से की जा सकती है।

6— यह कि वादीगण का खसरा नम्बर 145 की 0.36 हेक्टर भूमि पर कब्जा काश्त होने के कारण प्रतिवादी द्वारा आये दिन वादीगण के खिलाफ धारा 91 ले0रे0एक्ट की कार्यवाही की जाती रही है। गत वर्ष भी कार्यवाही केस नं0 230/19 व 228/19 से नोटिस जारी किये गये है। इस कारण वादीगण के खाते भूमि कम दर्ज की गयी है उसके स्थान पर खसरा नम्बर 145 की 0.36 हेक्टर भूमि से पूर्ति किया जाना व खाते दर्ज कर खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।

7— यह कि वादीगण ने प्रतिवादी के कर्मचारियों व अधिकारियों को वादीगण के खाते पुराने रकबा के अनुसार रकबा सही अंकित करने के लिये व सिवायचक खसरा नम्बर 145 की 0.36 हेक्टर भूमि वादीगण के खाते दर्ज करने के लिये दिनांक 2.08.2020 को कहा तो प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया। बल्कि वादीगण के खिलाफ धारा 91 ले0रे0एक्ट की कार्यवाही चालू रखने की धमकी दी।

8— यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादी के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह वाद पेश है।

9— यह कि वाद कारण प्रतिवादी के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के कार्य के दौरान भूमि का रकबा कम दर्ज करने व प्रतिवादी के कर्मचारियों से इन्द्राज दुरूस्त करने की कहने पर कोई कार्यवाही नही करने पर व धारा 91 की कार्यवाही चालू रखने की धमकी दिनांक 2.08.2020 को देने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः—

कि वाके ग्राम डंगावद तहसील दीगोद की पुराने खसरा नं0 9 की 28 बीघा 18 बिस्वा के अनुसार बाद सेटलमेन्ट दर्ज खसरा नम्बर 19 की 4.26 हेक्टर के अनुसार कमी रकबा खसरा नम्बर 145 की 0.36 हेक्टर भूमि से करते हुये उक्त भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। व उक्त भूमि वादीगण के खाते दर्ज की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न हैः—

- नकल जमाबन्दी ग्राम डंगावद सम्वत 2072—2075
- नकल नक्शा ट्रेस
- नोटिस धारा 91 एल आर एक्ट
- रशीद
- नक्शा ट्रेस
- मिलान क्षेत्रफल 2043—2062 ग्राम डंगावद
- नकल जमाबन्दी ग्राम डंगावद सम्वत 2035—2038
- नकल जमाबंदी ग्राम डंगावद सम्वत 2043—2038
- नकल इन्तकाल ग्राम डंगावद

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत किये जाने बाबत लिखा गया। तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब निम्न रूपेण प्राप्त किया गयाः—

वाद पत्र की मद संख्या 01 रेकार्ड के अनुसार स्वीकार है।

2- वाद पत्र की मद संख्या 02 मिसल बंदोबस्त के अनुसार स्वीकार है।

3- वाद पत्र की मद संख्या 03 रेकार्ड के अनुसार स्वीकार है।

4- वाद पत्र की मद संख्या 04 सही है। पुराने खसरा नम्बर 9 का रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा था जिसके अनुसार 4.62 हे0 भूमि होना स्वीकार है। इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदार का रकबा 0.36 हेक्टर रकबा कम करना उचित नहीं है। इस कमी रकबा को नया खसरा नम्बर 145 रकबा 7.70 हेक्टर में शामिल किया है इसकी किस्म रेकार्ड के अनुसार बंजड़ है।

5- वाद पत्र की मद संख्या 05 कानूनी बिन्दु है।

6- वाद पत्र की मद संख्या 06 कानूनी बिन्दु है. खसरा नम्बर 145 पर वादी का बहैसियत रेकार्ड अतिक्रमण होना स्वीकार है। जिसके विरूद्व एल आर एक्ट की धारा 91 की कार्यवाही स्वीकार है।

7- वाद पत्र की मद संख्या 07 कानूनी बिन्दु है।

8- वाद पत्र की मद संख्या 08 कानूनी बिन्दु है।

9- वाद पत्र की मद संख्या 09 कानूनी बिन्दु है।

10- वाद पत्र की मद संख्या 10, 11, 12 कानूनी है।

जेरकार प्रकरण को बाद जवाब सरकार साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य मे नाथूलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाकर वादीगण ने अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने एवं साक्ष्य पूर्ण होने पर पत्रावली को बहस पर नियत की गयी।

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र की मदो को ही अपनी बहस में दोहराया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड , बहस वादीगण अधिवक्ता एवं संलग्न अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। विवादित आराजी मृताबिक ग्राम डंगावद तहसील दीगोद जिला कोटा की जमाबंदी अनुसार पुराने खसरा नम्बर 9 की 28 बीघा 18 बिस्वा के अनुसार हेक्टर में 4.62 हेक्टर बनते है जबकि बाद सेटलमेन्ट वादीगण का रकबा 4.26 हेक्टर कायम किया गया। इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदार का रकबा 0.36 हेक्टर कम रकबा दर्ज किया गया जिसकी पूर्ति तहसीलदार दीगोद के जवाब अनुसार इस कमी रकबा को नया खसरा नम्बर 145 रकबा 7.70 हेक्टर में शामिल किया जाना प्रमाणित किया है। जिस पर वादीगण के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है। इससे 0.36 हेक्टर भूमि पर वादीगण का कब्जा भी साबित होता है। वादी का कमी रकबा 0.36 हेक्टर भूमि की पूर्ति खसरा नं0 145 रकबा 7.70 हेक्टर से किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को ग्राम डंगावद के नये खसरा नम्बर 19 का रकबा 4.26 हेक्टर के स्थान पर रकबा 4.62 हेक्टर का खातेदार घोषित किया जाता है। तथा वादीगण के 0.36 हेक्टर कमी रकबा की पूर्ति खसरा नम्बर 145 रकबा 7.70 हेक्टर में से किया जाकर रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद